भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 198
(जिसका उत्तर मंगलवार, 01 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

<u>सीएसआर संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग</u>

198. डा. प्रदीप कुमार बालमुचू :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में संपन्न हुए सीएसआर कम्पेंडियम में व्यापार जगत से उनके सीएसआर क्रियाकलापों में न्यायसंगत तरीके से वृद्धि करके समाज के व्यापक हित के उद्देश्य से अपने संसाधन ज्यादा दक्षता से उपयोग करने पर जोर दिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) सरकार द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों में उनकी उत्तरदायी भागीदारी हेतु व्यापार जगत को निर्देश देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क): यद्यपि मंत्रालय द्वारा कारपोरेट जगत के लिए कोई सीएसआर कंपेंडियम का संकलन नहीं किया गया, तथापि कंपनी अधिनियम, 2013 के सीएसआर उपबंध पात्र कंपनियों को सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और इसकी मूल भावना समाज के व्यापक हित के लिए अपर्याप्त संसाधनों के न्यायसंगत तरीके से प्रयोग को सुनिश्चित करना है।

(ख): कंपनियों द्वारा उल्लिखित न्यूनतम सीमा से अधिक सीएसआर कार्यान्वयन कंपनी अधिनियम, 2013 का एक अनिवार्य प्रावधान है। कंपनियों द्वारा सीएसआर के प्रभावी कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने (i) व्यापक गतिविधियों को सीएसआर गतिविधियों में कार्यान्वित करने योग्य बनाने के लिए अधिनियम की अनुसूची VII में संशोधन किया है; (ii) दिनांक 18.06.2014 को अन्य बातों के साथ अनुसूची VII की उदार व्याख्या देते हुए एक स्पष्टीकरण परिपत्र

जारी किया; और (iii) कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 में (क) सीएसआर के लिए 'प्रशासनिक शीर्षों पर व्यय' को अनुमत सीएसआर व्यय के रूप में शामिल करने और (ख) सीएसआर गतिविधियों के लिए कंपनियो द्वारा संशोधनों की पूलिंग को आसान बनाने के लिए संशोधन जारी किए हैं। उपर्युक्त सभी मंत्रालय की वेबसाइट (www.mca.gov.in) पर उपलब्ध है।

*****